राष्ट्रीय सेवा योजना

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर— 272202 उ0प्र0 (भारत)

Website :www.suksn.edu.in, Email Id: nsssuk2018@gmail.com

पत्रांक: 987 /रा0से0यो0/सि0वि0वि0/2026–2027 दिनांक 16-09-2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी
सम्बंधित महाविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई
सम्बद्ध–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निर्गत 50% अनुदान उपभोग करने एवं प्रत्येक रा.से.यो. इकाई का SBI में ZBSA खाता खोलने/सक्रिय कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–28–10/ रा.से.यो./क्षे.नि./लख/2026–27/8885–8953 दिनांक 09–09–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु माह अप्रैल से सितम्बर 2026 तक की अवधि की प्रथम किश्त के रूप में 50% अनुदान (रु. 37,500/– प्रति इकाई) चाइल्ड एजेंसियों के खातों में प्रेषित कर दिया गया है। प्रेषित की गई प्रथम किश्त की 50% धनराशि (रु. 37,500/– प्रति इकाई) का नियमानुसार पूर्ण उपभोग दिनांक 30 सितम्बर, 2026 से पूर्व किया जाना अनिवार्य है, ताकि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त (अवशेष 50% अनुदान) समय से निर्गत की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता एवं समय–सीमा को देखते हुए अपने महाविद्यालय की रा.से.यो. इकाई के ZBSA खाते को सक्रिय/खुलवाने तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक अनुदान उपभोग प्रमाण–पत्र एवं विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समेकित आख्या शासन/निदेशालय को ससमय भेजी जा सके।

साभार!

भवदीय

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, कुलपति जी, मा0 कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. प्रभारी, कोडिंग सेल, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड कराने की समुचित व्यवस्था करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग
राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

अतिमहत्वपूर्ण/अतिआवश्यक

सं0- 28-10/रा.से.यो./क्षे.नि./लख/2026-27/8885-8953

दिनांकः 11 सितम्बर, 2026

सेवा में,

समस्त कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
उत्तर प्रदेश

विषय : वर्ष 2026-27 हेतु निर्गत 50% अनुदान उपभोग करने एवं प्रत्येक रा.से.यो. इकाई का जेड.बी.एस.ए. खाता खोलने /सक्रिय करने सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय में भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा.से.यो. अनुभाग नई दिल्ली से प्राप्त ईमेल पत्र दिनांक - 09/09/2026 (संलग्न) के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मंत्रलाय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए संलग्न सूची अनुसार माह-अप्रैल से सितम्बर-2026 तक की अवधि की प्रथम किश्त रासेयो अनुदान का 50% (Rs. 37,500/- प्रति इकाई) चाइल्ड एजेंसियों के खातों में प्रेषित कर दिया गया है, जिसका कि उपयोग दिनांक 30/09/2026 से पूर्व ही समस्त इकाइयों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। प्रथम किश्त पूर्णतः उपयोग किये जाने के बाद ही भारत सरकार द्वारा अवशेष 50 % अनुदान निर्गत किया जायेगा। रासेयो अनुदान प्रवाह के नए प्रावधान के अंतर्गत निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है-

1- एकल खाता संरचना के अंतर्गत प्रत्येक रासेयो इकाई को पृथक-पृथक ZBSA खाता केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ही खुलवाना होगा। जिन मामलों में अभी तक कई इकाइयां एक ही खाता संख्या से संचालित (Co-mapped) है वहां सभी इकाइयों को SBI में प्रोडक्ट कोड - 51112171 के अंतर्गत अलग-अलग ZBSA खाता खोलकर इन खातों को तुरंत अलग करना होगा। (सन्दर्भ के लिए भारतीय स्टेट बैंक के ए.जी. एम. की सूची संलग है।)

2- निदेशालय-रासेयो नई दिल्ली द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त उत्तर प्रदेश के अनमैप्पेड खातों का विवरण (सूची संलग्न) जिनका कि अनुपालन KYC या अन्य तकनीकी कारणों से चालू नहीं किया जा सका है उनको संचालित कराने अथवा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में तुरंत नया ZBSA खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, तथा **नए खुलने वाले खातों का विवरण राज्य रासेयो अधिकारी, रासेयो प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ एवं इस कार्यालय को दिनांक - 15/09/2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है,** जिससे कि उक्त इकाइयों का अनुदान भी समय से निर्गत करते हुए दिनांक- 30/09/2026 तक समायोजन किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय की गंभीरता एवं विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से समस्त इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों को निम्न सूचनाओं से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएं साथ ही रासेयो अनुदान उपभोग एवं प्रत्येक रासेयो इकाई का भारतीय स्टेट बैंक में ZBSA खाता खोलने /सक्रिय करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(समरदीप सक्सेना)
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नकः उक्तवत

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भारत सरकार, रा.से.यो. निदेशालय, नई दिल्ली।
2. राज्य रा.से.यो. अधिकारी, रासेयो प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश।

केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं0.1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश
दूरभाष- 0522 2337066/4079533 ई-मेल-nssrolucknow@yahoo.com/nssrolucknow@gmail.com